राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपीडी/टी.ए./3751/2005/चित्तौडगढ

1– नारायण पुत्र देवा, जाति गुर्जर, निवासी ओडी, तहसील व जिला चित्तौडगढ।
2– नानालाल पुत्र हजारी, जाति गुर्जर, निवासी ओछडी, तहसील व जिला चित्तौडगढ।
3– भागुडा पुत्र देवा, जाति गुर्जर, निवासी ओछडी, तहसील व जिला चित्तौडगढ।
4– चान्दी पत्नि नारायण, जाति गुर्जर, निवासी सैन्ती, तहसील व जिला चित्तौडगढ।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– नानीदेवी पुत्री देवा, जाति गुर्जर, निवासी ओछडी, तहसील व जिला चित्तौडगढ।
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चित्तोडगढ।

.... रेस्पो0

खण्ड पीठ
डा0 आर0 वेंकटेश्वरन, अध्यक्ष
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित–
श्री के0के0 पुरोहित, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री जी0एस0लखावत, अभिभाषक, रेस्पोडेंट के ब्रीफ हाल्डर

निर्णय

दिनांक : 23.12.2020

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तोडगढ द्वारा अपील संख्या 256/2004 शीर्षक 'नानी बनाम नारायण वगैरा' में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–5–2005 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तोडगढ के समक्ष वादी/वर्तमान रैस्पो0 संख्या–1 की ओर से प्रतिवादी/वर्तमान अपीलार्थीगण के विरुद्ध वादपत्र बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व विभाजन ग्राम ओछडी, तहसील चित्तौडगढ की आराजी के सम्बन्ध में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि वादी व प्रतिवादीगण के पिता देवा पि0 कालू गुर्जर रहे हैं और साबिक खसरा नम्बर 37/2 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बरान 112, 113, 108, 109, 110 रकबा 2.73 कायम किए गए हैं। उक्त आराजी वर्तमान में प्रतिवादी नारायण, भगुडा व नानाला के खाते में दर्ज है जब कि वादिया नानी पुत्री देवा व चांदी पुत्री देवा के नाम भी इसमें बराबर दर्ज होने चाहिए थे। इंतकाल खोलते समय दोनों लडकियों का नाम रिकार्ड से हटा दिया गया है। इन अंकनों का फायदा उठा कर प्रतिवादीगण आराजी को रहन, बेचान करने पर आमादा हैं। अतः दावा वादिया डिक्री कर विभाजन की डिक्री पारित कर वादिया को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाए। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने वादी के वाद के कथनों से असहमति जाहिर की दावा वादी खारिज करने का जबाबदावा

प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ ने निर्णय दिनांक 18–9–2004 से वादिया का वाद खारिज किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तोडगढ द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 31–5–2005 से अपील स्वीकार कर दावा वादिया प्राथमिक रुप से डिक्री किया और प्रत्येक के पक्ष में 1/5, 1/5 हिस्से की प्राथमिक डिक्री प्रदान करते हुये विभाजन रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री पारित करने हेतु सहायक कलक्टर, चित्तौडगढ को निर्देशित किया। इस निर्णय के विरुद्ध प्रतिवादीगण द्वारा मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील प्रस्तुत की है।

3– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी का मुख्य रुप से बहस में यही कथन रहा है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय के निर्णय को परिवर्तित करने में क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग किया है। प्रश्नगत आराजी का खातेदार देवा पुत्र कालू था। साबिक खसरा नम्बर 37/2 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बरान 112, 113, 108, 109, 110 बताते हुये वादी/रैस्पो0 ने वाद प्रस्तुत किया था किन्तु अपने पक्ष की पुष्टि हेतु किसी प्रकार का मिलान क्षेत्रफल ही प्रस्तुत नहीं किया गया था। परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण में विधिवत रुप से तनकियात कायम करते हुये तनकी संख्या 1 में स्पष्ट रुप से माना है कि वादी पक्ष ने मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं किया है जिससे साबिक हो सके कि नवीन नम्बरान साबिक खसरा नम्बर 37/2 से ही बने हों। इसी प्रकार से परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट माना है कि प्रश्नगत आराजी देवा के खातेदारी में प्रमाणित नहीं होने से वादिया 1/5 हिस्से की डिक्री प्राप्त करने व विभाजन कराने की अधिकारी नहीं है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थीगण विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार हैं और रैस्पो0 का प्रश्नगत आराजी से किसी प्रकार का सम्बन्ध सरोकार नहीं है। परीक्षण न्यायालय द्वारा तनकीवार विवेचन करते हुये जो निर्णय पारित किया है उसे पलटते समय अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 31 की पालना नहीं की है। अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया जाये और परीक्षण न्यायालय के निर्णय को पुष्ट किया जाये।

5– रैस्पो0 पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष जो वाद दायर किया गया था उसे अविधिक रुप से खारिज किया गया है, जिस निर्णय को निरस्त कर अपील स्वीकार करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने किसी प्रकार की तथ्यात्मक या विधिक भूल नहीं की है। वादी व प्रतिवादीगण के पिता देवा पि0 कालू गुर्जर रहे हैं और साबिक खसरा नम्बर 37/2 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा उनकी खातेदारी कब्जे काश्त का था जिसके नवीन खसरा नम्बरान 112, 113, 108, 109, 110 रकबा 2.73 कायम किए गए हैं। उक्त आराजी वर्तमान में प्रतिवादी नारायण, भगुडा व नानाला के खाते में दर्ज है जब कि वादिया नानी पुत्री देवा व चांदी पुत्री देवा के नाम भी इसमें बराबर दर्ज होने चाहिए थे। इंतकाल खोलते समय दोनों लडकियों का नाम रिकार्ड से हटा दिया गया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष आदेश 41 नियम 27, सिविल प्रक्रिया संहिता के आवेदन के साथ जो दस्तावेजात प्रस्तुत किए गए हैं उनसे इन तथ्यों की बखूबी पुष्टि होती है। इस प्रकार की स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विधिवत रुप से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 31 की पालना करते हुए

अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होने से अपील खारिज की जाए।

7– योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन, अध्ययन किया गया।

8– हस्तगत प्रकरण में सुस्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तोडगढ के समक्ष वादी/वर्तमान रैस्पो0 संख्या–1 नानी देवी पुत्री देवा गुर्जर द्वारा घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व विभाजन का जो वादपत्र प्रस्तुत किया उसमें मुख्य रुप से यही उज्र लिया गया था कि प्रश्नगत आराजी के खातेदार काश्तकार वादी व प्रतिवादीगण के पिता देवा पि0 कालू गुर्जर रहे हैं किन्तु देवा के फौत होने के बाद इंतकाल खोलते समय प्रतिवादी नारायण, भगुडा व नानालाल के नाम आराजी को अंकित कर दिया गया है जब कि वादिया नानी पुत्री देवा व चांदी पुत्री देवा के नाम भी इसमें बराबर दर्ज होने चाहिए थे क्योंकि वे भी देवा की पुत्रियां हैं। इस प्रकार वादिया/वर्तमान रैस्पो0 संख्या–1 द्वारा प्रश्नगत आराजी में अपने हिस्से के 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का अनुतोष वादपत्र के माध्यम से चाहा गया था। परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ ने निर्णय दिनांक 18–9–2004 से यह मानते हुये वादिया का वाद खारिज किया है कि वादिया यह साबित नहीं कर पाई है कि साबिक खसरा नम्बर 37/23 से ही नवीन खसरा नम्बरान 108, 109, 110, 112, 113 कायम किए गए हैं। इस निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तोडगढ द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 31–5–2005 से अपील स्वीकार कर दावा वादिया प्राथमिक रुप से डिक्री किया और प्रत्येक के पक्ष में 1/5, 1/5 हिस्से की प्राथमिक डिक्री प्रदान करते हुये विभाजन रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री पारित करने हेतु सहायक कलक्टर, चित्तौडगढ को निर्देशित किया है। प्रकरण में परीक्षण पर पाया जाता है कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2030–33 प्रश्नगत आराजी देवा पि0 कालू गूजर के खातेदारी में अंकित रही है जो कि पक्षकारान के पिता रहे हैं। जमाबंदी सम्वत् 2055–58 में प्रश्नगत नवीन खसरा नम्बरान 108, 109, 110, 112, 113 नारायण, भगुडा पि0 देवा नानाला पि0 हजारी की खातेदारी में अंकित की गई है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों को समान रुप से अधिकार हासिल है। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से सुस्पष्ट है कि साबिक खसरा नम्बर 37/23 से ही नवीन खसरा नम्बरान 108, 109, 110, 112, 113 कायम किए गए हैं, अतः परीक्षण न्यायालय द्वारा इस तथ्य को गलत प्रकार से माना है कि साबिक खसरा नम्बर 37/23 से नवीन खसरा नम्बरान 108, 109, 110, 112, 113 कायम किए जाने की पुष्टि नहीं होती है। गौर तलब है कि अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष आदेश 41 नियम 27, सिविल प्रक्रिया संहिता के आवेदन के साथ जो दस्तावेजात प्रस्तुत किए गए हैं उनसे नवीन खसरा नम्बरान की पुष्टि होनी बखूबी प्रतीत होता है। देवा के फौत होने पर जो नामांतरकरण संख्या 43 स्वीकृत किया गया है उसमें देवा के समस्त वारिसान का नाम अंकित किया जाना चाहिए था किन्तु उसकी पुत्रियों के नाम को अंकित नहीं किया गया है, जो कि उचित नहीं है। वादिया जो कि देवा की पुत्री है उसका आराजी में विधिवत 1/5 हिस्सा है और 1/5 हिस्से की अपने पक्ष में घोषणा कराने की वह अधिकारिणी रही है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विधिवत रुप से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 31 की पालना करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें सभी बिन्दुओं को विस्तार से विवेचित किया गया है और विधिसम्मत रुप से देवा के सभी 5 वारिसान

के पक्ष में 1/5, 1/5 हिस्से की विभाजन की डिक्री पारित की गई है। परीक्षण न्यायालय ने अविधिक रुप से तथ्यों के विपरीत जाते हुये, विधिक प्रावधानों के विरुद्ध निर्णय पारित किया था जिसे अपीलाधीन निर्णय से निरस्त कर अपील को स्वीकार करने और विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने में किसी प्रकार की विधिक भूल नहीं की है। हस्तगत अपील में किसी प्रकार का सार होना प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील सारहीन होना पाए जाने से **खारिज** की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(डा0 आर0 वेंकटेश्वरन)
अध्यक्ष